

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
 131/25

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रत्यारी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम तहसील जिला,
 राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2075 में खाता संख्या 1034 में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	दिवेर	1034	प्रार्थी का नाम जेठाराम	प्रार्थी का नाम जेठाराम

पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, पीठ
 पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 131/25

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है-कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। जेठाराम नं०

पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, पीठ, कलक्टर,
 जिला राजसमन्द